194

संख्या–1199/XVIII-(2)/F/14-03(06)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 16, मई, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु विश्व बैंक एवं ए.डी.बी. सहायतित परियोजना के अंतर्गत संचालित पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0)/यू.ई.ए.पी. के आवास, विभागीय भवन, सड़क एवं सेतु एवं तकनीकी सहायता प्रकीर्ण व्यय, शहरी विकास, पर्यटन आदि मदों में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में माह जून व जुलाई, 2013 में बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने आदि से हुई अतिवृष्टि के दृष्टिगत राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से सम्बन्धित विश्व बैंक एवं ए0डी0बी0 सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0) एवं उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू.ई.ए.पी.) के आवास, विभागीय भवन, सड़क एवं सेतु, तकनीकी सहायता प्रकीर्ण व्यय, शहरी विकास एवं पर्यटन आदि मदों के अंतर्गत की गयी बजट व्यवस्था ₹ 1059.70 करोड़ के सापेक्ष संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹ 135.00 करोड़ (₹ एक सौ पैतीस करोड़ मात्र) एवं ए0डी0बी0 सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹ 110.00 करोड़ (₹ एक सौ दस करोड़ मात्र), इस प्रकार कुल ₹ 245.00 करोड़ (₹ दो सौ पैतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि वित्त नियंत्रक, पी0एम0यू0/उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0) एवं उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू0ई0ए0पी0) देहरादून के नाम से साइबर ट्रेजरी देहरादून में खुले "पी0एल0ए0–8443–800–सिविल डिपाजिट अन्य जमा" में जमा करने हेतु कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 (विश्व बैंक सहायतित/ए0डी0बी0 सहायतित) उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

2– उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार तथा विश्व बैंक व ए0डी0बी0 के साथ सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का **लेखा मिलान** संबंधित कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक **तीन माह** में सुनिश्चित कराया जायेगा।

4– पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि तथा उसमें से किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित धनराशि के लेखों का रख–रखाव तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू0ई0ए0पी0), (विश्व बैंक/ए0डी0बी0 सहायतित), उत्तराखण्ड का होगा।

क्रमशः---2

5– पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि में से परियजोनाओं की आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा तथा उसका पूर्ण औचित्य स्थापित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू0ई0ए0पी0), (विश्व बैंक/ए0डी0बी0 सहायतित), उत्तराखण्ड की होगी।

6– वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी तथा सम्पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में बिना औचित्य के धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

8– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–97–बाह्य सहायतित योजनायें (आपदा 2013)–9701–आवास, 9702–विभागीय भवन, 9704–सड़क एवं सेतु, 9708–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय **(विश्व बैंक सहायतित)** एवं 9703–सड़क एवं सेतु, 9705–शहरी विकास, 9706–पर्यटन, 9707–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय **(ए0डी0बी0 सहायतित)**–24–वृहत् निर्माण कार्य (आयोजनागत) के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या– 04 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 12 मई 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–1199(1)/XVIII-(2)/F/14-03(06)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री अमित नेगी, कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0), (विश्व बैंक सहायतित)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू. ई.ए.पी.), उत्तराखण्ड।
4– वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0), (विश्व बैंक सहायतित)/उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (यू.ई.ए.पी.), उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–05 एवं वित्त अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

शासनादेश संख्या–1199/XVIII-(2)/F/14-03(06)/2014, दिनांक 15 मई, 2014 का संलग्नक

क्र.सं.	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति धनराशि (₹ करोड़ में)
विश्व बैंक सहायतित			
1	9701–आवास	67.00	30.00
2	9702–विभागीय भवन	45.00	15.00
3	9704–सड़क एवं सेतु	320.00	80.00
4	9708–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय	25.00	10.00
	योग	457.00	135.00
ए.डी.बी. सहायतित			
5	9703–सड़क एवं सेतु	240.00	60.00
6	9705–शहरी विकास	56.70	20.00
7	9706–पर्यटन	81.00	20.00
8	9707–तकनीकी सहायता आदि हेतु प्रकीर्ण व्यय	25.00	10.00
	योग	402.70	110.00
	महायोग		245.00

(कुल ₹ दो सौ पैतालीस करोड़ मात्र)

(भास्करानन्द)
सचिव